भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3036

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

.....

लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रम

3036. श्री एस. आर. पार्थिबन:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का देश, विशेषकर तमिलनाडु में लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रम शुरू करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ग) लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं सहित जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण, निष्पादन और रख-रखाव राज्य सरकारों द्वारा स्वयं अपने संसाधनों और प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों अर्थात त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), आदि के माध्यम से जल संसाधनों के स्थाई विकास और कुशल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता देता है।

वर्ष 2016-17 के दौरान पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत 76.03 लाख हे. की क्षमता की चल रही निन्यानवे (99) बृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को राज्यों के साथ परामर्श करके प्राथमिकता दी गई है, जिन्हें उनके कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) निर्माण कार्यों सहित चरणवार ढंग से दिसंबर, 2019 तक पूरा किया जाना है। सरकार ने केंद्र और राज्य दोनों के हिस्से की राशि के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त-पोषण की व्यवस्था अनुमोदित की है। इन निन्यानवे परियोजनाओं में तमिलनाडु की कोई परियोजना नहीं है। इसके अलावा, इस समय पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत कोई नई परियोजना शामिल करने की गुंजाइश नहीं है।

इन निन्यानवे परियोजनाओं में नौ (9) परियोजनाएं मुख्य रूप से लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं हैं। इन 9 परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न है। इसके अलावा, कई अन्य प्राथमिकीकृत परियोजनाओं में भी उनकी आयोजना के अनुसार लिफ्ट सिंचाई घटक शामिल हैं-

अनुलग्नक

लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रम के विषय में लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3036 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.[illegible]	परियोजना	राज्य	लाभांवित जिले	अधिकतम सिंचाई क्षमता ([illegible])	जारी केंद्रीय [illegible] (2016-19)
1	तादीपड़ी एलआईएस	आंध्र प्रदेश	पश्चिमी गोदावरी	83.61	-
2	पुष्कारा एलआईएस	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी विशाखापट्टनम	71.18	-
3	तराल लिफ्ट	जम्मू और कश्मीर	पुलवामा	6.00	10.69
4	राजपुरा लिफ्ट	जम्मू और कश्मीर	पुलवामा	2.43	2.30
5	भीमा एलआईएस	कर्नाटक	गुलबर्गा	24.29	22.44
6	श्री रामेश्वर सिंचाई	कर्नाटक	बेलगाम	13.80	-
7	कृष्णा कोयना लिफ्ट	महाराष्ट्र	सोलापुर, सांगली	104.17	74.82
8	जे. चोक्का राव एलआईएस	तेलंगाना	वारंगल अर्बन, वारंगल रूरल, जंगोन, सिद्दीपेट, यदाद्री, सूर्यपेट और करनगर	249.00	470.60
9	राजीव भीमा एलआईएस	तेलंगाना	महबूबनगर, वानापर्थी नागरकुर्नूल	82.15	54.48

*****